

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-27102021-230752
SG-DL-E-27102021-230752

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 04]	दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 26, 2021/कार्तिक 4, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 229
No. 04]	DELHI, TUESDAY, OCTOBER 26, 2021/KARTIKA 4, 1943	[N. C. T. D. No. 229

भाग II—I
PART II—I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली
अधिसूचना

दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2021

सं. 349/नियम/डीएचसी.— सामान्य सूचना हेतु निम्नलिखित प्रकाशित किया जाता है.—

“दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायालयों हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम 2021” के अध्याय I के नियम 1, उप-नियम(i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय सहर्ष अधिसूचित करता है कि उक्त नियम इस न्यायालय और उन न्यायालयों और अधिकरणों के लिए लागू होंगे जिन पर इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार है।

आदेशानुसार
मनोज जैन, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI**NOTIFICATION**

Delhi, the 26th October, 2021

No. 349/Rules/DHC.—The following is published for general information .—

In exercise of the powers conferred by sub-Rule (i), Rule 1 of Chapter I of “High Court of Delhi Rules for Video Conferencing for Courts 2021”, the High Court of Delhi is pleased to notify that the said Rules shall apply qua this Court and vis-à-vis courts and tribunals over which this Court has jurisdiction.

By Order

MANOJ JAIN, Registrar General